न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-22RAAJodhpur2024-13RTA223 Setharam ors Vs Leela etc

01. सेठाराम पुत्र स्व. श्री रणछोड़राम जी
02. हरीसिंह पुत्र स्व. श्री रणछोड़राम जी
03. सेणाराम पुत्र स्व. श्री रणछोड़राम जी
सभी जातियान् माली, निवासीगण- बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. लीला पुत्री श्री रणछोड़राम पत्नी श्री जमन जी गहलोत, जाति माली, निवासी- धड़ाबास, महामंदिर जोधपुर।
2. लूणाराम पुत्र स्व. श्री रणछोड़राम जी निवासी- बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
3. स्व. विघा पुत्री स्व. रणछोड़राम जी पत्नी मोहन गहलोत, जाति माली, निवासी- निम्बाला बेरा, सुरपुरा, मण्डोर, जोधपुर के कायम मुकाम-
   3.1. अशोक पुत्र श्री मोहन गहलोत
   3.2. विशनाराम पुत्र श्री मोहन गहलोत
   3.3. गीता पुत्री श्री मोहन गहलोत
   3.4. कौशल्या पुत्री श्री मोहन गहलोत
   3.5. गोमा पुत्री श्री मोहन गहलोत
   सभी जातियान् माली, निवासीगण- निम्बाला बेरा, सुरपुरा, मण्डोर, जोधपुर।
4. चुकीया पुत्री स्व. श्री रणछोड़राम जी पत्नी ढलजी गहलोत, जाति माली, निवासी- निम्बाला बेरा, सुरपुरा, मण्डोर, जोधपुर।
5. राधा उर्फ बाया पुत्री स्व. श्री रणछोड़राम जी पत्नी रामेश्वरजी सांखला, जाति माली, निवासी- तीन तेरिया, माता का थान, पूंजला जोधपुर।
6. स्व. ढगलाराम पुत्र श्री नारायणराम जाति माली के कायम मुकामः -
   6.1. हुकमसिंह पुत्र स्व. श्री ढगलाराम जी
   6.2. हेमसिंह पुत्र स्व. श्री ढगलारामजी
   6.3. तुलसी पत्नी स्व. श्री ढगलारामजी
   सभी जातियान् माली, निवासीगण- जाटाबास, महामंदिर, जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. कौशल्या पत्नी लालाराम
8. आत्माराम पुत्र श्री लालाराम
9. मदनसिंह पुत्र श्री लालाराम
10. नरपतसिंह पुत्र श्री लालाराम
11. जबरसिंह पुत्र श्री लालाराम
    सभी जातियान् माली, निवासीगण- बासनी तंबोलिया, तहसील व जिला जोंधपुर।
12. सोहनीदेवी पत्नी श्री इश्वरलाल, जाति माली, निवासी- माता का थान, पूंजला जोधपुर।
13. गजेसिंह पुत्र दुर्गाराम माली, निवासी- बासनी तंबोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2023 सहायक कलक्टर (उत्तर) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 475/2011 लीला बनाम लूणाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री धर्मेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 10
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 475/2011 अनवान लीला बनाम लूणाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 29 व 30 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा ग्राम खोखरिया तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2012 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल में नजरसानी प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथाकथित विभाजन प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री जारी कर दी एवं विभाजन प्रस्ताव पर एतराज पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थीगणों को मौके पर बुलाया ही नहीं गया एवं मनमानी रिपोर्ट पटवारी ने बनाई जिस पर तहसीलदार ने अपने हस्ताक्षर कर दिये। तहसीलदार की ओर से जारी किया हुआ एक पत्र दिनांक 10.10.2023 को अपीलांट का मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि दिनांक 20.10.2023 को वाद संख्या 475/2011 में पारित डिक्री की पालना में मौका जांच की जावेगी व अपीलार्थी को प्रातः 10 बजे से शाय 05 बजे तक मौके पर उपस्थित रहने हेतु कहां गया, उस तिथि को अपीलार्थी सुबह 10 बजे से शांय 05 बजे तक मौके पर रहा, परन्तु वहां पर कोई नहीं आया तो अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने घर चला गया। बाद में अपीलार्थी को ऐसा बताया गया कि शांय लगभगत 6.15 बजे तहसीलदार एवं पटवारी जीप लेकर आये और तहसीलदार तो जीप से नीचे ही नहीं उतरे एवं पटवारी 2 मिनट घुमकर गजेसिंह की गाड़ी में बैठ गया एवं पटवारघर में बैठकर रिपोर्ट तैयार करी एवं उस पर तहसीलदार ने अपने कार्यालय में दस्तखत कर अधीनस्थ न्यायालय को भेज दी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय में दिनांक 24.11.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर आगामी पेशी दिनांक 05.03.2024 दी गई, परन्तु प्रतिवादी संख्या तेरह द्वारा दिनांक 12.12.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट्स को बिना सूचित किये पत्रावली को पेशी में लेकर अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 26.12.2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। विभाजन प्रस्ताव प्रथमतः तहसीलदार जोधपुर द्वारा तैयार नहीं किया गया तथा न ही कोई नाप चौक किया गया न ही कोई नक्शा बनाया गया। इतना ही नहीं पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द मौके के हालात के बिलकुल विपरीत तैयार की है तथा अपीलांट्स को सड़के पीछे जमीन दे दी गई, जबकि पूर्व विभाजन प्रस्ताव में आनुपातिक रूप से सभी पक्षकारान् को सड़क पर समान भूमि दी गई। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के बिलकूल विपरीत तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकार विध्यादेवी पुत्री रणछोड़राम जी जो लगभग 6-7 साल पहले फौत हो गई, के वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना आलौच्य निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2023 को अपास्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर पक्षकारान् के हिस्सों बाबत सक्षम न्यायालय में निर्णय होने के पश्चात ही विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान् मौजूदगी में तैयार कर मंगवाये जाने व उस पर सुनवाई के बाद अंतिम डिक्री जारी करने के निर्देश जारी किये जावे।

जवाब में रेस्पोड्रेंस अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष गैर हाजिर रहे है। विचारण न्यायालय को पूर्व में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने से रेस्पो. गजेसिंह द्वारा आपत्ति पेश की गई, जो आपत्ति स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर की मौके पर उपस्थिति में नवीन विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि नवीन विभाजन प्रस्ताव तैयार के वक्त अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये, किंतु वे मौके पर उपस्थित नहीं रहे। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर काई आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा नोटिस जारी किया जाकर उन्हें दिनांक 20.10.2023 विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त प्रातः 10 बजे से शाय 5 बजे तक मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया, किंतु उक्त अवधि में तहसीलदार जोधपुर अथवा पटवारी हल्का मौके पर नहीं आया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.10.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी का समय शाय 5 बजे बताया है, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती है कि तहसीलदार जोधपुर शाय 05 बजे से पहले मौके पर नहीं आये।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.10.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार जोधपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट्स अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है तथा अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार सड़क पर आनुपातिक हिस्सा नहीं दिया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2023 को आगामी तारीख 05.03.2024 नियत की गई, किंतु पत्रावली बिना किसी प्रार्थना पत्र के दिनांक 26.12.2023 को पेशी में ली जाकर अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियों प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना विधिविरुद्ध प्राप्त विभाज प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 475/2011 अनवान लीला बनाम लूणाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर